VIDHYAPEETH

GROUP OF INSTITUTIONS, BHOPAL

Ref: VGI/ADMIN/2023-24/137

DATE: 10/04/2024

अति आवश्यक सूचना

छात्रवृत्ति आवास सहायता 2022–23 / 2023–24 PMS(MPTAAS)/NIC2.0 SC/ST

कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/PMS/242/2024-25/5988/ भोपाल दिनांक 03/04/2024 के तारतम्य में SC/ST वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है MPTAAS/NIC 2.0 पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवास सहायता आवेदन के लिए शासन द्वारा पोर्टल पुनः खोला गया है जो भी छात्र/छात्राएं आवास सहायता नवीन एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन करना चाहते है वो Online आवेदन कर सकते है पोर्टल दिनॉक 30/04/2024 तक के लिए खोला गया है।

उपरोक्त आदेशानुसार आवेदन कर सभी आवश्यक दस्तावेजो सहित 02 सेट में महाविद्यालय के छात्रवृत्ति शाखा में जमा करें एवं हार्ड कापी जमा न होने की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति सें वचिंत रह जाते हो तो छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे न की महाविद्यालय एवं महाविद्यालय शुल्क का भुगतान छात्र को स्वयं करना होगा।

NOTE: दस्तावेजो के सूची महाविद्यालय के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है ।

Landline No:- 0755-2990749, 2990750 / Mobile No. :- 9238110752
(छात्रवृत्ति प्रभारी श्री कृष्णा वर्मा
सहायक प्रभारी सुमन गुप्ता मेडम से संपर्क करें ।)

आदेशानुसार
(डायरेक्टर)

प्रतिलिपि :-

1. चेयरमेन/सचिव/सी.ई.ओ/ग्रुप डायरेक्टर कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. डीन/प्रशासनिक अधिकारी / रजिस्ट्रार/ अतिरिक्त रजिस्ट्रार/ लेखा शाखा की ओर सूचनार्थ।
3. सभी विभागाध्यक्ष एवं प्रथम वर्ष समन्वयक एवं समस्त स्टाफ सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. नोटिस बोर्ड ।

आदेशानुसार
(डायरेक्टर)

SC/ST

एम.पी.टास पोर्टल पर अनुसूचित जाति आवास सहायता योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश एवं प्रकिया

1. आवास सहायता योजना के लिये पात्रता केवल उन्ही छात्रों की होगी,जो अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के लिये पात्र हों।
2. आवास सहायता योजना के लिये छात्र को अपने प्रोफाईल आई.डी. से एम.पी.टास पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करना होगा।
3. एम.पी.टास पोर्टल पर योजना के लाभ हेतु दो किश्तों में राशि प्रदान की जाती है–
   प्रथम किश्त –माह जुलाई से माह दिसम्बर तक
   द्वित्तीय किश्त माह जनवरी से माह जून तक
4. योजना के लाभ हेतु किराये की राशि की गणना महाविधालय संस्था में प्रवेश लेने की दिनांक अथवा किराये से भवन लेने की दिनांक (जो भी बाद में होगी) से की जावेगी।
5. अनुसूचित जाति वर्ग के विधार्थियों को मकान मालिक के साथ किरायानामा रूपये 100/– के स्टॉम्प पेपर पर बनवाना आवश्यक है, अन्यथा योजना का लाभ नही दिया जावेगा।
6. योजना का लाभ नोटरी दिनांक से ही देय होगा, एवं नोटरी की दिनांक स्टॉम्प पेपर कय की दिनांक के बाद की होना आवश्यक है।
7. किराया प्रारम्भ की दिनांक नोटरी दिनांक से ही भरी जाना आवश्यक है।
8. आवेदन में जाति का प्रमाणपत्र/विगत वर्ष की अंकसूची/कोई भी एक पहचान पत्र तथा स्टॉम्प पेपर पर बना किरायानामा पी.डी.एफ में अपलोड करना आवश्यक है।
9. किरायानामा में स्टॉम्प पेपर के पीछे का भाग जिस पर कय दिनांक अंकित होती है उसे भी अनिवार्यता अपलोड करें तथा मकान मालिक का कोई भी एक पहचान पत्र भी संलग्न करें। (इस प्रकार किरायानामा के तीन पृष्ठ तथा मकान मालिक का पहचान पत्र) कुल 04 पृष्ठ का पी.डी.एफ होना चाहिये।
10. समस्त आवश्यक दस्तावेजों को स्पष्ट वा पी.डी.एफ में अपलोड करें।

कृपया, संस्था में प्रवेशित छात्र/छात्रायें अनुसूचित जाति आवास सहायता आवेदन करते समय उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

ऑनलाइन आवास सहायता आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाले दस्तावेजो की सूची (तीन सेट मे)

SESSION 2023–24

कोर्स .... वर्ष .... सेमेस्टर .... केटेगरी ....

आवेदक का नाम .... जन्मतिथि ....

पिता का नाम .... माता का नाम ....

स्थाई पता : म.न. / ग्राम / मोहल्ला...

तहसील / तालुका..जिला...........................राज्य....मध्यप्रदेश........पिन..............

मोबाइल नम्बर :–स्वयं ....पिता ....ई–मेल आई.डी..

1. ऑनलाइन आवास छात्रवृत्ति आवेदन पत्र
2. किराया अनुबंध – जिसके नाम का बिजली बिल है । (निवास महाविद्यालय से 12 किमी की दायरे मे होना अनिवार्य है ।
3. ऑनलाइन ई–पुलिस वेरिफिकेशन
4. छात्र का मकान मालिक के साथ – मकान के बाहर एवं कमरे का फोटो
5. शासकीय पी.एम.एस. छात्रावास, भदभदा रोड, डिपो चौराहा से एन.ओ.सी.
6. मकान मालिक के खाते मे किराए के ऑनलाइन भुगतान की प्रति (छात्र का बैंक पास बुक रिकार्ड)
7. मकान मालिक का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की फोटोप्रति, जिसमे किराए के भुगतान का रिकार्ड हो ।
8. डिजिटल स्थाई जाति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति (जाति ....)
9. नवीनतम् डिजिटल आय प्रमाण–पत्र (पिता / पति / अभिभावक) (यदि पिता / पति / अभिभावक शासकीय सेवा मे है तो वह फार्म – 16 प्रस्तुत करेगें) की स्वसत्यापित छायाप्रति
10. आवेदक का डिजिटल मूल निवासी प्रमाण–पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति (निवास स्थान ....)
11. शपथ पत्र (पिता / पालक की ओर से किराए अनुबंध एवं भोपाल मे स्वयं का मकान ना होने संबधी के साथ निवास, जाति, एवं आय के संबंध मे घोषणा)
12. वर्तमान वर्ष की फीस रसीद एवं काउंसिलिंग एडमिशन स्लिप की सत्यापित छायाप्रति
13. हाईस्कूल (दसवी) से अभी तक की सभी परिक्षाओं की अंकसूचियॉ की सत्यापित छायाप्रतियॉ
14. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति एवं आधार नम्बर ....
15. समग्र परिवार आई.डी. की सत्यापित छायाप्रति एवं नम्बर ....
16. पिता / पालक का राशन कार्ड / पात्रता पर्ची / ई–श्रमिक कार्ड / सम्बल कार्ड / खसरा की स्वसत्यापित छाया प्रति

आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजो सहित निर्धारित समयावधि मे महाविद्यालय मे जमा नही करने अथवा दस्तावेजों मे अन्य कोई त्रुटि पाई जाने पर छात्रवृत्ति आवेदन महाविद्यालय द्वारा अग्रेषण ना होने पर, यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नही होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र एवं अभिभावक की होगी एवं शासन के नियमानुसार आवेदक एवं अभिभावक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी एवं संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर